2014 का विधेयक संख्यांक 88

[दि सिक्युरिटी लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992,
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
और निक्षेपागार अधिनियम, 1996
का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 5 के खंड (ii), धारा 6, से धारा 16, धारा 25 से धारा 33, धारा 36 और धारा 41 से धारा 48 को छोड़कर यह 18 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 5 के खंड (ii), धारा 16, धारा 33, धारा 36 और धारा 48 के उपबंध 28 मार्च, 2014 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(4) इस अधिनियम की धारा 6 से धारा 15, धारा 25 से धारा 32 और धारा 41 से धारा 47 के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

धारा 11 का संशोधन।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 में,— 5 1992 का 15

(i) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (झक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(झक) किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी या बोर्ड या निगम सहित किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना और अभिलेख मंगाना, जो बोर्ड की राय में ऐसी प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत बोर्ड द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के लिए सुसंगत होगा ;" ; 10

(ख) खंड (झक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और उसको 6 मार्च, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 15

"(झख) प्रतिभूति विधियों के संबंध में अतिक्रमणों के निवारण या उनका पता लगाने से संबंधित मामलों में, इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के समान कृत्य करने वाले अन्य प्राधिकारियों से, चाहे वे भारत में हों या भारत के बाहर, सूचना मंगाना या उनको सूचना देना : 20

परंतु बोर्ड, भारत से बाहर किसी प्राधिकारी को किसी सूचना को देने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के साथ कोई ठहराव या करार या बात तय कर सकेगा ;" ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 25

"(5) यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 11ख या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी रकम का, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा उपयोग किया जाएगा ।"। 1956 का 42 1996 का 22 30

धारा 11कक का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11कक में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "उपधारा (2)", शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 35

"परन्तु किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या उपधारा (3) के अधीन समाविष्ट नहीं है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा ।" ;

(ii) उपधारा (2) के आरंभिक भाग में, "कंपनी" शब्द के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों का समाधान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित की गई कोई स्कीम या ठहराव ।" ;

(iv) उपधारा (3) में,—

(क) "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ix) ऐसी अन्य स्कीम या ठहराव जिसको केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित करे,"।

धारा 11ख का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 11ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है ।" ।

धारा 11ग का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 11ग में,—

(i) उपधारा (8) में, "अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को" शब्दों के स्थान पर "मुंबई में ऐसे नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(8क) प्राधिकृत अधिकारी, किसी अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या दोनों की सेवाओं की, उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करना प्रत्येक ऐसे अधिकारी का कर्तव्य होगा।";

(iii) उपधारा (9) में दोनों स्थानों पर आने वाले "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (10) में "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15क का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15क के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15ख का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 15ख में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए या जो एक करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15ग का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15ग में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15घ का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 15घ में,–

(i) खंड (क) में, "ऐसी शास्ति के लिए, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह ऐसी किसी सामूहिक विनिधान स्कीम को, जिसके अंतर्गत पारस्परिक निधियां हैं, प्रायोजित करता है या चलाता है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह ऐसी किसी सामूहिक विनिधान स्कीम को, जिसके अंतर्गत पारस्परिक निधियां हैं, प्रायोजित करता है या चलाता है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में, "ऐसी शास्ति के लिए, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15ङ का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 15ङ में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" खब्द रखे जाएंगे।

धारा 15च का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 15च में,–

(i) खंड (क) में, "ऐसी शास्ति का, जो उस रकम के पांच गुने से अधिक नहीं होगी," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस तक विस्तारित हो सकेगी," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "ऐसी शास्ति के लिए, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए, इनमें से जो कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह ऐसी किसी सामूहिक विनिधान स्कीम को, जिसके अंतर्गत पारस्परिक निधियां हैं, प्रायोजित करता है या चलाता है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) में, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए होगी या विनिर्दिष्ट दलाली के आधिक्य में प्रभारित दलाली की रकम का पांच गुणा होगी," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो विनिर्दिष्ट दलाली के आधिक्य में प्रभारित दलाली की रकम के पांच गुने तक की हो सकेगी," शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 15छ में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसे आंतरिक व्यापार से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसे आंतरिक व्यापार से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15छ का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 15ज में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसी असफलता से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी असफलता से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15ज का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 15जक में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ की रकम के तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ की रकम के तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15जक का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 15जख में, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 15जख का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 15झ में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 15झ का संशोधन।

"(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा यदि यह विचार करता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस विस्तार तक गलत है, यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 15न के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।"।

17. मूल अधिनियम की धारा 15ञक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— नई धारा 15ञख का अंतःस्थापन ।

"15ञख. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही धारा 11, धारा 11ख, धारा 11घ, धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 15झ के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जा सकेगी, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा । प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन निपटारा कार्यवाहियों को, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 15न के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

धारा 15न का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 15न की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 26 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 26क, धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ, का अंतःस्थापन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

"26क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति, किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

26ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा । 1974 का 2

अपील और पुनरीक्षण ।

26ग. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सके, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था । 1974 का 2

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

26घ.(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

26ङ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : 1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए दंड प्रक्रिया
1974 का 2 संहिता, 1973 की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।''।

नई धारा 28क का अंतःस्थापन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रकमों की वसूली ।

'28क. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल रहता है या धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाण-पत्र कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

1961 का 43 और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर के स्थान पर निर्देश हैं।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के व्यस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 2**—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रतिनिर्देश है ।

स्पष्टीकरण 3—आय–कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निर्देश का, इस अधिनियम की धारा 15न के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है। 1961 का 43

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 11ख के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।'।

धारा 30 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(गक) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन जमा की गई रकम का उपयोग किया जाना ;

(गख) धारा 11कक की उपधारा (2क) के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित अन्य शर्तों का पूरा किया जाना ; " ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घक) धारा 15ञख की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन और उपधारा (3) के अधीन निपटारा कार्यवाहियों के संचालन के लिए प्रक्रिया ;

(घख) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।" ।

नई धारा 34क का अंतःस्थापन।

23. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

"34क. बोर्ड के समरूप कृत्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों से, चाहे वे भारत में हैं या भारत के बाहर हैं, जानकारी मांगने या उनको जानकारी देने के संबंध में और प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी रही समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे।"।

अध्याय 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

धारा 12क का संशोधन ।

24. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 12क में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1956 का 42

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या

क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है ।" ।

धारा 23क का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 23क के खंड (क) और खंड (ख) में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23ख का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 23ख में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23ग का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 23ग में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23घ का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 23घ में, "एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23ङ का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 23ङ में, "पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं हागी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23च का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 23च में, "पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23छ का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 23छ में, "पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23ज का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 23ज में, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23झ का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 23झ में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा यदि यह विचार करता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस

विस्तार तक गलत है, यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 15न के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।"।

नई धारा 23ञक का अंतःस्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 23ञ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

"23ञक. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही धारा 12क या धारा 23झ के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जा सकेगी, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा । 1992 का 15

(3) इस धारा के अधीन निपटारे के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी । 1992 का 15

(4) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 23ठ के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

नई धारा 23ञख का अंतःस्थापन ।

35. इस प्रकार अंतःस्थापित की गई, मूल अधिनियम की धारा 23ञक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रकमों की वसूली ।

'23ञख. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल रहता है या धारा 12क के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त 1961 का 43

आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आय-कर
1961 का 43 अधिनियम 1961 के अधीन आयकर के स्थान पर निर्देश हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के व्यस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 2**—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रतिनिर्देश है ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 3**—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निदेश का, इस अधिनियम की धारा 23ठ के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है।

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 12क के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।'।

धारा 23ठ का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 23ठ की उपधारा (1) के पश्चात् "धारा 4ख" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या धारा 23झ की उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 26 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 26क, धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ का अंतःस्थापन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

"26क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

26ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा । 1974 का 2

अपील और पुनरीक्षण ।

26ग. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सकें, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था । 1974 का 2

विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

26घ. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

26ङ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : 1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए संहिता की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।''।

धारा 31 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(ग) धारा 23ञक के उपखंड (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन;

(घ) कोई अन्य विषय जिनको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए या जिनके संबंध में उपबंध, विनियमों द्वारा बनाया जाना है।''।

40. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 32 का अंतःस्थापन।

"32. प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो।"। कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

अध्याय 4

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

1996 का 22

41. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 19 का संशोधन।

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है।"।

42. मूल अधिनियम की धारा 19क के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में, "जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19क का संशोधन।

43. मूल अधिनियम की धारा 19ख में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19ख का संशोधन।

44. मूल अधिनियम की धारा 19ग में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19ग का संशोधन।

45. मूल अधिनियम की धारा 19घ में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19घ का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 19ङ में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19ङ का संशोधन।

धारा 19च का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 19च में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19छ का संशोधन।

48. मूल अधिनियम की धारा 19छ में, "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19ज का सशोधन।

49. मूल अधिनियम की धारा 19ज में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(3) बोर्ड इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा यदि वह यह विचार करता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस विस्तार तक गलत है कि यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 23क के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।"।

नई धारा 19झक का अंतःस्थापन।

50. मूल अधिनियम की धारा 19झ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा।

"19झक. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही, यथास्थिति, धारा 19 या धारा 19ज के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जा सकेगी, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा । 1992 का 15

(3) इस धारा के अधीन निपटारे के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी । 1992 का 15

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 23क के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

नई धारा 19झख का अंतःस्थापन।

51. इस प्रकार अंतःस्थापित की गई, मूल अधिनियम की धारा 19झक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रकमों की वसूली।

"19झख. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल रहता है या धारा 19 के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र

कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर के स्थान पर निर्देश हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के वयस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अध्यादेश के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43

स्पष्टीकरण 2—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।

1961 का 43

स्पष्टीकरण 3—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति निर्देश का, इस अधिनियम की धारा 23क के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है।

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

धारा 22 का संशोधन।

52. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 22ग, धारा 22घ, धारा 22ङ, धारा 22च, और धारा 22छ का अंतःस्थापन ।

53. मूल अधिनियम की धारा 22ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

"22ग. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

22घ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा । 1974 का 2

अपील और पुनरीक्षण ।

22ङ. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सकें, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था । 1974 का 2

विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

22च. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

22छ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : 1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए संहिता की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।" ।

धारा 23क का संशोधन।

54. मूल अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 25 का संशोधन।

55. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(ज) धारा 19झक की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन ; और

(झ) कोई अन्य विषय जिनको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए या जिनके संबंध में उपबंध, विनियमों द्वारा बनाया जाना है।"।

नई धारा 30क का अंतःस्थापन।

56. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

"30क. प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे।"।

विधिमान्यकरण और व्यावृति।

2014 का अध्यादेश सं॰ 2

57. इस तथ्य के होते हुए भी कि प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 प्रवर्तन में नहीं रह गया है, उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो ऐसे उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) प्रतिभूति बाजार में विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने, प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन और विनियमन करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. प्रतिभूति बाजार की प्रकृत्ति और ऐसी परिस्थिति, जिसमें यह प्रवृत्त होता है, गतिशील है और उसको शासित करने वाली विधियों को बाजार आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना पड़ेगा। बोर्ड के माध्यम से प्रतिभूति बाजार के शासन ने समय की चुनौतियों का सामना किया है जिसके अंतर्गत न्यायिक संवीक्षा भी है। तथापि, वर्षों के अनुभव पर आधारित प्रतिभूति बाजार से संबंधित विधियों के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करते समय प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमात्मक उपबंधों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

3. विनिधानकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए और प्रतिभूति बाजारों के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियों को बढ़ाना आवश्यक हो गया है—(क) न केवल प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों और इकाइयों से बल्कि ऐसे व्यक्तियों से भी जो प्रतिभूति बाजार से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, जानकारी मांगना; (ख) ऐसे मामलों में जहां विनिधानकर्ताओं से प्राप्त धन का कपटपूर्वक दुरुपयोग किया गया है वहां विनिधानकर्ताओं के प्रभावी संरक्षण के लिए उपबंध करना; और (ग) सामूहिक विनिधान स्कीम को मानीटर करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी स्कीमें जो भोले-भाले विनिधानकर्ताओं के व्यय पर सफल हो रही है उनको नियंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त मामलों के अधिक लंबन की दृष्टि से शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिए प्रतिभूति विधियों के अधीन अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना आवश्यक है।

4. चूंकि संसद सत्र में नहीं थी और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में आवश्यक संशोधनों को करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाया जा सके और प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 तथा प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 के अधीन की गई कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए राष्ट्रपति ने, 28 मार्च, 2014 को प्रतिभूति विधि संशोधन अध्यादेश, 2014 प्रख्यापित किया था। चूंकि प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014, 18 जुलाई 2014 से प्रवर्तन में नहीं रह गया है और पूर्वतर अध्यादेशों तथा प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के उपबंधों को सतत प्रभाव देना आवश्यक था, अत: प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 को संसद में पुर:स्थापित करना आवश्यक हो गया है।

5. प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 जो अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:—

(क) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम सहित, किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना और अभिलेख मंगाने के लिए, जो बोर्ड की राय में ऐसी प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत बोर्ड द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के लिए सुसंगत होगा, बोर्ड को सशक्त करते हुए सेबी अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करना;

(ख) सेबी अधिनियम की धारा 11 की नई उपधारा (5) में यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित करना कि, यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 11ख के अधीन या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा;

(ग) सेबी अधिनियम की धारा 11कक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करना कि किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या इस धारा के अधीन समाविष्ट नहीं है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा;

(घ) सेबी अधिनियम की धारा 11ग की उपधारा (8), उपधारा (9) और उपधारा (10) का संशोधन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले मुंबई में नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों के अभिग्रहण के लिए कोई आदेश जारी करने की अधिकारिता होगी;

(ङ) सेबी अधिनियम की धारा 15क से 15जख का संशोधन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम शास्तियां, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होंगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा;

(च) सेबी अधिनियम की धारा 15झ का संशोधन करना जिससे बोर्ड को, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की मात्रा में वृद्धि की जा सके यदि बोर्ड की राय में आदेश गलत है और प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है;

(छ) सेबी अधिनियम में नई धारा 15ञख का अंत:स्थापन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाहियां, धारा 11, धारा 11 ख, धारा 11घ, धारा 12 या धारा 15झ के अधीन आरंभ की गई हैं, कार्यवाहियों के निपटाने के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकेगा जो सेबी अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा;

(ज) सेबी अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए ''विशेष न्यायालयों'' की स्थापना करना;

(झ) नई धारा 28 क का अंत:स्थापन करना जिससे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यार्पण आदेश के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है, धन की वसूली करने के लिए वसूली अधिकारी को सशक्त किया जा सके।

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में किए गए संशोधनों के समान आधारों पर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में कतिपय संशोधन करना भी आवश्यक हो गया है।

7. विधेयक उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली;
31 जुलाई, 2014.

अरुण जेटली

खंडों पर टिप्पण

खंड 2—यह खंड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कृत्यों से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम, 1992) की धारा 11 का संशोधन करता है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को ऐसी प्रतिभूतियों जिनमें उक्त बोर्ड द्वारा अन्वेषण या जांच की आवश्यकता होती है, में किन्हीं संव्यवहार के संबंध में किसी व्यक्ति से जानकारी और अवलेख मंगाने के लिए समर्थ करने हेतु उक्त धारा की उपधारा (2) में खंड (ik) का संशोधन करना प्रस्तावित करता है। यह 6 मार्च, 1998 से उक्त धारा की उपधारा (2) में खंड (ख) को अंत:स्थापित करने के लिए प्रस्तावित करता है जिससे प्रतिभूतियों के संबंध में उल्लंघन के लिए निवारण, निरोध, कार्यान्वयन और अन्वेषण से संबंधित विषयों में बोर्ड के समरूप कृत्यों को करने वाले अन्य विनियामक जो भारत के बाहर हैं, से जानकारी अभिप्राप्त करने या प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड को स्पष्ट रूप से सशक्त किया जा सके। तथापि, भारत के बाहर किसी प्राधिकरण को कोई जानकारी देने के प्रयोजन के लिए एक समझौता ज्ञापन को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड और विदेशी विनियामकों के मद्दे हस्ताक्षरित होगा। उक्त धारा में नई उपधारा (5) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है जो यह उपबंध करती है कि, यथास्थिति, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11ख या धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा।

खंड 3—यह खंड, सामूहिक विनिधान स्कीमों के विनियम से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11कक का संशोधन करता है। यह उक्त खंड की उपधारा (1) में परंतुक को अंत:स्थापित करना प्रस्तावित करता है जो यह उपबंध करता है कि किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपवर्जित नहीं किया गया है और जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा। उक्त खंड की उपधारा (2) को यह स्पष्ट करते हुए संशोधित करना और प्रस्तावित किया गया है कि किसी स्कीम या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव सामूहिक विनिधान स्कीम के अधीन आएगा। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों का समाधान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित की गई कोई स्कीम या ठहराव। उक्त खंड में उपधारा (2क) को अंत:स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है जिससे सामूहिक विनिधान स्कीम को गठित करने संबंधी अतिरिक्त स्वतंत्र मानदंडों को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके। उक्त खंड की उपधारा (3) में नए खंड (ix) को अंत:स्थापित करना भी प्रस्तावित किया गया है जिससे सामूहिक विनिधान स्कीमों की परिधि के अधीन आने से किसी स्कीम या ठहराव को, बोर्ड के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा अपवर्जित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके। उपधारा (1) में अंत:स्थापित किए गए समझे जाने वाले उपबंधों की दृष्टि से यह सुनिश्चित करना प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे धन पूल किए जाने वाले क्रियाकलाप, जिनको अन्यथा कुछ अन्य प्राधिकरण या विनियामकों द्वारा विनियमित किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विनियामक रूप से परस्पर व्याप्त नहीं है, सामूहिक विनिधान स्कीमों की परिधि के अधीन नहीं आते हैं।

खंड 4—यह खंड, निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख का संशोधन करता है। उक्त खंड में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण का अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित करता है कि बोर्ड के पास इस धारा के अधीन प्रत्यर्पित आदेशों को जारी करने की शक्ति थी और सदैव उसका होना समझा जाएगा।

खंड 5— यह खंड अन्वेषण से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ग का संशोधन करने के लिए है। यह उक्त धारा 11ग की उपधारा (8), उपधारा (9) और उपधारा (10) का संशोधन करने का, यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करता है कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मुंबई में नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख के अभिग्रहण के लिए कोई आदेश जारी करने के लिए अधिकारिता होगी।

खंड 6—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15क का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को जानकारी, विवरणी, आदि

देने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 7—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15ख का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को किसी व्यक्ति द्वारा मुवक्किलों के साथ करार करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 8—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15ग का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 9—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15घ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को पारस्परिक निधियों की दशा में कतिपय व्यतिक्रमों के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 10—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को किसी आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा नियमों और विनियमों का पालन करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 11—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15च का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को स्टॉक दलालों की दशा में व्यतिक्रम के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 12—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15छ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को अंतरंगी व्यापार के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 13—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15ज का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को शेयरों के अर्जन और अधिग्रहण को प्रकट न करने के लिए ऐसी न्यूनतम शस्तियों को, जो दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 14—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15जक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 15—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15जख का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को ऐसे उल्लंघन के लिए जहां किसी पृथक् शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 16—यह खंड सेबी अधिनियम की धारा 15झ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा अधिरोपित शास्ति की मात्रा बढ़ाने के लिए लिए सशक्त किया जा सके यदि आदेश, बोर्ड की राय में गलत है और प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है।

खंड 17—यह खंड, 20 अप्रैल, 2007 से प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटारे से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 में नई धारा 15ञक को अंत:स्थापित करता है। उक्त खंड, बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार अवधारित की गई रकमों के संदाय पर और अन्य निबंधनों पर प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड को स्पष्ट रूप से सशक्त करता है।

खंड 18—यह खंड, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15न की उपधारा (2) का लोप करता है क्योंकि प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटान के लिए एक नया उपबंध, खंड 6 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 19—यह खंड, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप करता है क्योंकि अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए एक नया उपबंध खंड 9 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 20—यह खंड, सेबी अधिनियम, 1992 में नई धारा 26क से धारा 26ङ का अंत:स्थापन करता है जो अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। नई धारा 26क का अंत:स्थापन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है जो ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध करता है। यह, यह और उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व सेशन न्यायाधीश या कोई अपर सेशन न्यायाधीश था। यह, एक नई धारा 26ख को अंत:स्थापित करने के लिए भी प्रस्तावित करती है जो यह उपबंध करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध जो प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए हैं, उन पर केवल विशेष न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा। नई धारा 26ग का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। यह भी उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालयों को अपील या पुनरीक्षण की शक्ति होगी यदि विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विचारण करने वाले सेशन न्यायालय थे। एक नई धारा 26घ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध विशेष न्यायालय को लागू होंगे तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा। एक नई धारा 26ङ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। जो यह उपबंध करता है कि जब तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं, विद्यमान सेशन न्यायालय, अधिकारिता का प्रयोग करना जारी रखेंगे। तथापि, इससे मामला हस्तांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी।

खंड 21—यह खंड, रकमों की वसूली से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 में नई धारा 28क को अंत:स्थापित करता है। यह खंड अन्य बातों के साथ बोर्ड को व्यतिक्रमियों की जंगम और स्थावर संपत्ति को किसी न्यायालय में जाए बिना, कुर्क और विक्रय करने के लिए तथा व्यतिक्रमियों के बैंक खातों को कुर्क करने के लिए यदि सशक्त करता है यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल होता है या वह धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन में असफल होता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यर्पित आदेश के निदेश के अनुपालन में असफल होता है या बोर्ड को देय किसी फीस के संदाय में असफल होता है।

खंड 22—यह खंड, विनियम बनाने के शक्ति से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 30 का संशोधन करता है। यह, उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करना प्रस्तावित करता है जिससे धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय धन के उपयोग से संबंधित विषयों में विनियम बनाने के लिए; धारा 11कक की उपधारा (2क) के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए; 15ञख की उपधारा (2) के अधीन कार्रवाइयों के निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन और उपधारा (3) के अधीन निपटारा कार्रवाईयों के संचालन के लिए प्रक्रिया; और कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित किया जाए या ऐसा कोई अन्य विषय जिसके संबंध में विनियम बनाए जाए।

खंड 23—यह खंड, कतिपय अधिनियमों के विधिमान्यकरण के लिए सेबी अधिनियम, 1992 में नई धारा अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

खंड 24—यह खंड, निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआर अधिनियम, 1956)की धारा 12 का संशोधन करता है। यह उक्त धारा में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि बोर्ड को सशक्त करने के लिए बोर्ड उस धारा के अधीन प्रत्यर्पित आदेशों को जारी करने की शक्ति रखता था और उसका रखा जाना सदैव समझा जाएगा।

खंड 25—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23क का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को जानकारी, विवरणी, आदि देने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 26—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23ख का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को किसी व्यक्ति द्वारा मुवक्किलों के साथ करार करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 27—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23ग का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों या धन को पृथक् करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 28—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23घ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों या धन को पृथक् करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 29— यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23ङका संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को सूचीबद्ध करने की शर्तों या सूची से हटाने की शर्तों या आधारों का अनुपालन करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 30—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23च का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को सूचीबद्ध न की गई प्रतिभूतियों का आधिक्य में डिमैटेरियालाइज करने या प्रदान करने के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 31—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23छ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को कालिक विवरणियां देने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 32—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23ज का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को जहां पृथक् शास्ति उपबंधित नहीं है वहां उल्लंघन के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 33—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 23झ का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की मात्रा बढ़ाने के लिए सशक्त किया जा सके यदि आदेश बोर्ड की राय में गलत है और प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है।

खंड 34—यह खंड, 20 अप्रैल, 2007 से प्रशासनिक और सिविल कार्रवाइयों के निपटान से संबंधित एससीआर अधिनियम, 1956 में एक नई धारा 23ञक को अंत:स्थापित करता है। यह खंड बोर्ड द्वारा विरचित

विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार यथा अवधारित ऐसे रकमों के संदाय पर या अन्य निबंधनों पर प्रशासनिक और सिविल कार्रवाइयों का निपटान करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

खंड 35—यह खंड, रकमों की वसूली से संबंधित एससीआर अधिनियम, 1956 में एक नई धारा 23ञख को अंत:स्थापित करता है। यह खंड अन्य बातों के साथ बोर्ड को व्यतिक्रमियों की जंगम और स्थावर संपत्ति को किसी न्यायालय में जाए बिना, कुर्क और विक्रय करने के लिए तथा व्यतिक्रमियों के बैंक खातों को कुर्क करने के लिए यदि सशक्त करता है यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल होता है या वह धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन में असफल होता है या धारा 12क के अधीन जारी प्रत्यर्पित आदेश के निदेश के अनुपालन में असफल होता है या बोर्ड को देय किसी फीस के संदाय में असफल होता है।

खंड 36—यह खंड, धारा 23झ की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील करने का उपबंध करने के लिए एस सी आर अधिनियम 1956 की धारा 23ठ का संशोधन करता है।

खंड 37—यह खंड, एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप करता है क्योंकि अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए एक नया उपबंध, खंड 38 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 38—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 में नई धारा 26क से धारा 26ङ का अंत:स्थापन करता है जो अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। नई धारा 26क का अंत:स्थापन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है जो ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध करता है। यह, यह और उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व सेशन न्यायाधीश या कोई अपर सेशन न्यायाधीश था, यह एक नई धारा 26ख को अंत:स्थापित करने के लिए भी प्रस्तावित करती है जो यह उपबंध करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध जो प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए हैं, उन पर केवल विशेष न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा। नई धारा 26ग का अंत:स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। यह भी उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालयों को अपील या पुनरीक्षण की शक्ति होगी यदि विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विचारण करने वाले सेशन न्यायालय थे। एक नई धारा 26घ का अंत:स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध विशेष न्यायालय को लागू होंगे तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा। एक नई धारा 26ङ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि जब तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित जाएं, विद्यमान सेशन न्यायालय, अधिकारिता का प्रयोग करना जारी रखेंगे। तथापि, इससे मामला हस्तांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी।

खंड 39—यह खंड, विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित एस सी आर अधिनियम, 1992 की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है जिससे बोर्ड को, उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटाने के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन से संबंधित विषयों में विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके। उक्त संशोधन, सेबी अधिनियम, 1992 के अधीन विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से अतिरिक्त है और एस सी आर अधिनियम, 1956 की धारा 23ञक की उपधारा (2) के पारिणामिक हैं तथा कोई अन्य विषय जिनको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए या जिनके संबंध में उपबंध, विनियमों द्वारा बनाया जाना है।

खंड 40—यह खंड, कतिपय अधिनियमों के विधिमान्यकरण के लिए एससीआर अधिनियम, 1956 में नई धारा अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

खंड 41—यह खंड, निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 का संशोधन करता है। यह उक्त धारा में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि बोर्ड उक्त धारा के अधीन प्रत्यर्पित आदेशों को जारी करने की शक्ति रखता था और उसका रखा जाना सदैव समझा जाएगा।

खंड 42—यह खंड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19क का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को जानकारी, विवरणी, आदि देने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 43—यह खंड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19ख का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को कोई करार करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 44—यह खंड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19ग का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 45—यह खंड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19घ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को सूचीबद्ध न की गई प्रतिभूतियों का आधिक्य में डिमैटेरियलाइज करने या प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 46—यह खंड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को अभिलेखों का मिलान करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 47—यह खंड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19च का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को अधिनियम की धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में असफलता के लिए ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 48—यह खंड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19छ का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धनीय शास्तियां अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारियों को ऐसे उल्लंघन के लिए जहां किसी पृथक् शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी न्यूनतम शास्तियों को, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, अधिरोपित करने का विवेकाधिकार होगा।

खंड 49—यह खंड निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19ज का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा अधिरोपित शास्ति की मात्रा बढ़ाने के लिए सशक्त किया जा सके यदि आदेश, बोर्ड की राय में गलत है और प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है।

खंड 50—यह खंड, 20 अप्रैल, 2007 से प्रशासनिक और सिविल कार्रवाइयों के निपटान से संबंधित निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में एक नई धारा 19झक को अंत:स्थापित करता है। यह खंड बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार यथा अवधारित ऐसे रकमों के संदाय पर या अन्य निबंधनों पर प्रशासनिक और सिविल कार्रवाइयों का निपटान करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

खंड 51—यह खंड, रकमों की वसूली से संबंधित निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में एक नई धारा 19झख को अंत:स्थापित करता है। यह खंड अन्य बातों के साथ बोर्ड को व्यतिक्रमियों की जंगम और स्थावर संपत्ति को किसी न्यायालय में जाए बिना, कुर्क और विक्रय करने के लिए तथा व्यतिक्रमियों के बैंक खातों को कुर्क करने के

लिए यदि सशक्त करता है यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल होता है या वह धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन में असफल होता है या धारा 19 के अधीन जारी प्रत्यर्पित आदेश के निदेश के अनुपालन में असफल होता है या बोर्ड को देय किसी फीस के संदाय में असफल होता है।

खंड 52—यह खंड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (2) का लोप करता है क्योंकि अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए एक नया उपबंध, खंड 52 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 53—यह खंड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में नई धारा 22ग से धारा 26छ का अंत:स्थापन करता है जो अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। नई धारा 26ग का अंत:स्थापन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है जो ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध करता है। यह, यह और उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व सेशन न्यायाधीश या कोई अपर सेशन न्यायाधीश था। यह, एक नई धारा 26घ को अंत:स्थापित करने के लिए भी प्रस्तावित करती है जो यह उपबंध करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध जो प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए हैं, उन पर केवल विशेष न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा। नई धारा 26ङ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। यह भी उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालयों को अपील या पुनरीक्षण की शक्ति होगी यदि विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विचारण करने वाले सेशन न्यायालय थे। एक नई धारा 26च का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध विशेष न्यायालय को लागू होंगे तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा। एक नई धारा 26छ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि जब तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं, विद्यमान सेशन न्यायालय, अधिकारिता का प्रयोग करना जारी रखेंगे। तथापि, इससे मामला हस्तांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी।

खंड 54—यह खंड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 23क की उपधारा (2) को लोप करता है क्योंकि प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटान के लिए एक नया उपबंध, खंड 49 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 55—यह खंड, विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है जिससे बोर्ड को, धारा 19झक की उपधारा (2) के अधीन कार्रवाइयों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन और उपधारा (3) के अधीन निपटारा कार्रवाइयों के संचालन की प्रक्रिया; और कोई अन्य विषय जिनको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए या जिनके संबंध में उपबंध, विनियमों द्वारा बनाया जाना है, से संबंधित विषयों में विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके। उक्त संशोधन, सेबी अधिनियम , 1992 के अधीन विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से अतिरिक्त है और धारा 19झक की उपधारा (2) के पारिणामिक है।

खंड 56—यह खंड, कतिपय अधिनियमों के विधिमान्यकरण के लिए निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में नई धारा अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

खंड 57—यह खंड, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014, जो 19 जुलाई, 2014 से प्रवर्तन में नहीं रह गया है, की अवधि के दौरान की गई कार्रवाइयों या बातों के विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति से संबंधित नए खंड को अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 20 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में नई धारा 26क को अंत:स्थापित करता है जिससे उस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उतने विशेष न्यायालय जितने आवश्यक हों, स्थापित या अभिहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त कर सकें।

2. विधेयक का खंड 38 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में नई धारा 26क को अंत:स्थापित करता है जिससे उस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उतने विशेष न्यायालय जितने आवश्यक हों, स्थापित या अभिहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त कर सकें।

3. विधेयक का खंड 52 निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में नई धारा 22ग को अंत:स्थापित करता है जिससे उस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उतने विशेष न्यायालय जितने आवश्यक हों, स्थापित या अभिहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त कर सकें।

4. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि विशेष न्यायालयों को स्थापित किए जाने तक प्रतिभूति विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, अधिकारिता रखने वाले सेशन न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। विधेयक के अधिनियम बनने तक केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकारों से विशेष न्यायालयों की उसकी बजटीय सहायता के साथ स्थापना करने का अनुरोध कर सकेगी। अत:, प्रस्ताव से उद्भूत भारत की संचित निधि पर कोई सीधी वित्तीय विवक्षा नहीं है। केन्द्रीय सरकार, यदि अपेक्षित हो तो, पश्चात्वर्ती स्तर पर बजटीय सहायता का उपबंध कर सकेगी और तदनुसार, व्यय विभाग से नियमों के अनुसार संपर्क किया जाएगा।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

1. विधेयक का खंड 2 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यर्पित रकम का उपयोग विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

2. विधेयक का खंड 3 बोर्ड को धारा 11कक की उपधारा (2क) के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित अन्य शर्तों के पूरे करने को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

3. विधेयक का खंड 17, खंड 39 और खंड 55 निपटारा कार्रवाइयों के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

4. ऐसे विषय जिनके संबंध में विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं तथा उनके लिए बिल में ही उपबंध करना व्यवहारिक नहीं है अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्यांक 15) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 4

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

11. (1) * * * * * बोर्ड के कृत्य।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट अध्युपायों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) * * * * *

(झक) ऐसी प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत, जो बोर्ड द्वारा अन्वेषण या जांच के अधीन है, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी या बोर्ड या निगम से सूचना और अभिलेख मंगाना।

* * * * *

11कक. (1) ऐसी कोई स्कीम या इंतजाम जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है, सामूहिक विनिधान स्कीम होगी। सामूहिक विनिधान।

(2) किसी कंपनी द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित कोई स्कीम या इंतजाम जिसके अधीन,—

(i) विनिधानकर्ताओं द्वारा किए गए अभिदाय या संदाय, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, स्कीम या इंतजाम के प्रयोजनों के लिए पूल किए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं;

(ii) विनिधानकर्ताओं द्वारा ऐसी स्कीम या इंतजाम में अभिदाय या संदाय ऐसी स्कीम या इंतजाम से लाभ, आय, उत्पादन या सम्पत्ति, चाहे वह जंगम है या स्थावर, प्राप्त करने की दृष्टि से, किए जाते हैं;

(iii) स्कीम या इंतजाम के भाग रूप संपत्ति, अभिदाय या विनिधान का, चाहे उसकी पहचान की जा सकती है या नहीं, प्रबंध विनिधानकर्ताओं की ओर से किया जाता है;

(iv) विनिधानकर्ता स्कीम या इंतजाम के प्रबंध और कार्यान्वयन में दिन-प्रतिदिन का नियंत्रण नहीं रखते हैं;

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसी स्कीम या इंतजाम—

1912 का 2 (i) जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किया गया या ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्टर की गई समझी गई है प्रस्थापित किया गया है;

1934 का 2 (ii) जिसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में परिभाषित रूप में गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार किए जाने हैं;

1938 का 4 (iii) जो ऐसी बीमा की संविदा है जिसे बीमा अधिनियम, 1938 लागू होता है;

1952 का 19 (iv) जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम, पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम का उपबंध करती है;

1956 का 1 (v) जिसके अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 के अधीन निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं;

1956 का 1 (vi) जिसके अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी के रूप में घोषित किसी कंपनी द्वारा निक्षेप स्वीकार किए जाने हैं;

(vii) जो चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 2 के खंड (घ) में परिभाषित चिट कारबार के अर्थांतर्गत आती है; 1982 का 40

(viii) जिसके अधीन किए गए अभिदाय, पारस्परिक निधि में अभिदान प्रकृति के हैं,

सामूहिक विनिधान स्कीम नहीं होगी।

निदेश देने की शक्ति।

11ख. धारा 11 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यदि कोई जांच करने या कराए जाने के पश्चात् बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि—

(i) विनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए; या

(ii) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी मध्यवर्ती या अन्य व्यक्तियों के ऐसे कार्यकलापों को, जो ऐसी रीति से संचालित किए जाते हैं जो विनिधानकर्ताओं अथवा प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए हानिकर है, रोकने के लिए; या

(iii) ऐसे किसी मध्यवर्ती या व्यक्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए,

ऐसा करना आवश्यक है तो वह—

(क) धारा 12 में निर्दिष्ट या प्रतिभूति बाजार से सहयुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को; या

(ख) धारा 11क में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत किसी कम्पनी को, ऐसे निदेश दे सकेगा, जो प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं और प्रतिभूति बाजार के हित में उचित हो।

अन्वेषण।

11ग. (1) जल बोर्ड के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है के—

(8) जहां अन्वेषण के दौरान, अन्वेषक प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार से किसी रीति से सहयुक्त किसी व्यक्ति की या उससे संबंधित बहियां, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और अभिलेख नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत किए या छिपाए जा सकते हैं, वहां अन्वेषक प्राधिकारी, अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसी बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख के अभिग्रहण के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(9) मजिस्ट्रेट, आवेदन पर विचार करने और अन्वेषक प्राधिकारी को सुनने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो तो, आदेश द्वारा अन्वेषक प्राधिकारी को—

(क) ऐसे स्थान या स्थानों में जहां ऐसी बहियां, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और अभिलेख रखे गए हैं, यथा अपेक्षित सहायता के साथ प्रवेश करने के लिए;

(ख) उस स्थान या उन स्थानों की आदेश में विनिर्दिष्ट रीति से तलाशी लेने के लिए; और

(ग) उन बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को अभिगृहीत करने के लिए, जिन्हें वह ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है,

प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु मजिस्ट्रेट, सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या ऐसी पब्लिक कंपनी (जो धारा 12 के अधीन विनिर्दिष्ट मध्यवर्तियां नहीं हैं) की, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का आशय रखती है, बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख के अभिग्रहण को तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि ऐसी कंपनी अंतरंग व्यापार या बाजार छलसाधन में नहीं लगी है।

(10) अन्वेषक प्राधिकारी, इस धारा के अधीन अभिगृहीत बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को, ऐसी अवधि के लिए, जो अन्वेषण के पूरा होने के बाद की नहीं होगी, अपनी अभिरक्षा में रखेगा जैसा वह आवश्यक समझे तथा उसके पश्चात् उनको, कंपनी या अन्य निगमित निकाय को या, यथास्थिति, उस प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति को वापस करेगा जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में से वे अभिगृहीत किए गए थे, और इस प्रकार लौटाने के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचना देगा:

परंतु अन्वेषक प्राधिकारी, यथापूर्वोक्त ऐसी बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को वापस करने से पूर्व, उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा।

* * * * *

अध्याय 6क

शास्तियां और न्यायनिर्णयन

जानकारी, विवरणी आदि देने में असफलता के लिए शास्ति।

15क. यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन,—

(क) बोर्ड को कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है उसे देने में असफल रहेगा तो ऐसी शास्ति का जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रूपए होगी या एक करोड़ रूपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा;

(ख) विनियमों में उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी, बहियां या अन्य दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है, विनियमों में उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रूपए होगी या एक करोड़ रूपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा।

(ग) लेखाबहियों या अभिलेखों के अभिरक्षण की अपेक्षा की जाती है, उसके अभिरक्षण में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रूपए होगी या एक करोड़ रूपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा।

किसी व्यक्ति द्वारा मुवक्किल के साथ करार करने में असफलता के लिए शास्ति।

15ख. यदि कोई व्यक्ति, जो मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है जिसमें इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन अपने मुवक्किल के साथ करार करने के लिए अपेक्षा की जाती है, ऐसा करार करने में असफल रहेगा, तो वह ऐसी शास्ति का, जो ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए पांच लाख रूपए से अधिक नहीं होगी, दायी होगा।

विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में असफलता के लिए शास्ति।

15ग. यदि कोई सूचीबद्ध कंपनी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए बोर्ड द्वारा लिखित रूप में मांग किए जाने के पश्चात् बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी शिकायतों को दूर करने में असफल रहेगा तो ऐसी कंपनी या मध्यवर्ती, ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा।

पारस्परिक निधियों की दशा में कतिपय व्यतिक्रमों के लिए शास्ति।

15घ. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन किसी सामूहिक विनिधान स्कीम को जिसके अन्तर्गत पारस्परिक निधियां हैं, प्रायोजित करने या चलाने के लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना, किसी सामूहित विनिधान स्कीम को जिसके अन्तर्गत पारस्परिक निधियां हैं; प्रायोजित करेगा या चलाएगा तो वह ऐसी शास्ति का जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह ऐसी किसी सामूहित विनिधान स्कीम को जिसके अन्तर्गत पारस्परिक निधियां है, प्रायोजित करता है या चलाता है, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, या जो एक करोड़ रूपए होगी, इसमें से जो भी अधिक हो, दायी होगा;

(ख) जो किसी विनिधान स्कीम को प्रायोजित करने या चलाने के लिए सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में, जिसके अन्तर्गत पास्परिक निधियां हैं, बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का

जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी, या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा;

(ग) जो सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में, जिसके अन्तर्गत पारस्परिक निधियां हैं, बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत हैं, अपनी स्कीमों को सूचीबद्ध करने के लिए, जैसी ऐसी सूचीकरण को विनियमित करने वाले विनियमों में उपबंधित हैं, आवेदन करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी, या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा;

(घ) जो सामूहित विनिधान स्कीम के रूप में जिसके अन्तर्गत, पारस्परिक निधियां हैं, रजिस्ट्रीकृत हैं, किसी स्कीम के यूनिट प्रमाण–पत्रों को ऐसी रीति से, जो ऐसे प्रेषण को विनियमित करने वाले विनियमों में उपबंधित है, प्रेषित करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा;

(ङ) जो सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में, जिसके अन्तर्गत पारस्परिक निधियां भी हैं, रजिस्ट्रीकृत हैं, विनिधानकर्ताओं द्वारा संदत्त आवेदन धन को विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा;

(च) जो सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में जिसके अन्तर्गत पारस्परिक निधियां हैं, रजिस्ट्रीकृत हैं, ऐसी सामूहिक विनिधान स्कीमों द्वारा संगृहीत धन का, विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से और अवधि के भीतर विनिधान करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा।

किसी आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा नियमों और विनियमों का पालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

15ङ. जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकृत पारस्परिक निधि की कोई आस्ति प्रबंध कम्पनी, किसी ऐसे विनियम का जिसमें आस्ति प्रबंध कम्पनी के क्रियाकलापों पर निबंधन के लिए उपबंध किया गया है, अनुपालन करने में असफल रहेगा वहां ऐसी आस्ति प्रबंध कम्पनी ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा।

स्टाक दलाल की दशा में व्यतिक्रम के लिए शास्ति।

15च. यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन स्टाक दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकृत है,—

(क) उस प्ररूप में और उस रीति से जो उस स्टाक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जिसका वह सदस्य है, संविदा नोट जारी करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो उस रकम के पांच गुने से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए उक्त दलाल द्वारा संविदा नोट जारी किया जाना अपेक्षित था, दायी होगा;

(ख) किसी प्रतिभूति का परिदान करने में असफल रहेगा अथवा विनिधानकर्ता को शोध्य रकम का विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से या अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहेगा वहां वह ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा;

(ग) दलाली की ऐसी रकम प्रभारित करेगा जो विनियमों में विनिर्दिष्ट दलाली से अधिक है वहां वह ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए होगी या विनिर्दिष्ट दलाली के आधिक्य में प्रभारित दलाली की रकम का पांच गुणा होगी, इनमें से जो भी अधिक हो, दायी होगा।

15छ. यदि कोई अंतरंगी व्यक्ति,— अंतरंगी व्यापार के लिए शास्ति।

(i) अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के आधार पर किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निगमति निकाय की प्रतिभूतियों में व्यवहार करेगा; या

(ii) कारबार के मामूली अनुक्रम में या किसी विधि के अधीन जैसा अपेक्षित है उसके सिवाय, किसी व्यक्ति को, ऐसी सूचना के लिए उसके अनुरोध पर या उसके बिना, कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना, संसूचित करेगा; या

(iii) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के आधार पर किसी निगमित निकाय की किसी प्रतिभूति में किसी अन्य व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए परामर्श देगा या उसे उपाप्त करेगा,

तो वह ऐसी शास्ति का, पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसे आंतरिक व्यापार से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो दायी होगा।

15ज. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों की अपेक्षानुसार,— शेयरों के अर्जन और अधिग्रहण को प्रकट न करने के लिए शास्ति।

(i) किसी निगमित निकाय के किन्हीं शेयरों का अर्जन करने के पूर्व उस निगमित निकाय में के अपने कुल शेयरों को प्रकट करने में, या

(ii) न्यूनतम कीमत पर शेयरों का अर्जन करने की सार्वजनिक घोषणा करने में,

(iii) संबंधित कंपनी के शेयर धारकों को प्रस्थापना पत्र भेजकर सार्वजनिक प्रस्थापना करने में, या

(iv) उन शेयर धारकों को, जिन्होंने प्रस्थापना पत्र के अनुसरण में अपने शेयर बेचे हैं, प्रतिफल का संदाय करने में,

असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का, जो पचीस करोड़ रुपए होगी या ऐसी असफलता से प्राप्त लाभ की रकम की तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी, दायी होगा।

15जक. यदि कोई व्यक्ति, प्रतिभूतियों के संबंध में कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्त होगा तो वह ऐसी शास्ति का, जो पच्चीस करोड रुपए होगी या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ की रकम के तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो, दायी होगा। कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए शास्ति।

15जख. जो कोई, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध या बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों का, पालन करने में असफल रहेगा जिसके लिए किसी पृथक् शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह ऐसी शास्ति का, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा। ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति जहां किसी पृथक् शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है।

* * * * *

15ञ. (1) * * * * * प्रतिभूति अपील अधिकरण की अपील।

"(2) प्रतिभूति अपील अधिकरण को कोई अपील—

1999 का 32 (क) प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ को और उसके पश्चात् बोर्ड द्वारा,

(ख) किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा,

पक्षकारों की सहमति से, किए गए किसी आदेश के विरुद्ध नहीं की जाएगी।";

* * * * *

26. (1) * * * * * न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

* * * * *

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 42) से उद्धरण

* * * * *

निदेश जारी करने की शक्ति।

12क. यदि जांच करने के पश्चात् या जांच करवाए जाने के पश्चात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) विनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित विकास के लिए; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या ऐसे अन्य अभिकरण या व्यक्ति के, जो प्रतिभूतियों के संबंध में व्यापार या समाशोधन या समझौते की सुविधाएं की सुविधाएं प्रदान कर रहा है, कार्यकलापों को, जो ऐसी रीति में किए जा रहे हैं, जो विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हित के लिए हानिकारक हैं, निवारित करने के लिए; या

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या अभिकरण या व्यक्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए,

ऐसा करना आवश्यक है तो वह,—

(i) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या अभिकरण या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जो प्रतिभूति बाजार से सहबद्ध है; या

(ii) किसी ऐसी कंपनी को, जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं और प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए समुचित हों।

* * * * *

जानकारी, विवरणी आदि देने में असफलता के लिए शास्ति।

23क. कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन,–

(क) कोई जानकारी, दस्तावेज, बहियां, विवरणियां या रिपोर्ट किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को देने की अपेक्षा की जाती है, उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करार या शर्तों या उपविधियों में उनके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर उन्हें देने में असफल रहेगा, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध करार या शर्तों अथवा उपविधियों के अनुसार लेखाबहियों या अभिलेखों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, उनको बनाए रखने में असफल रहेगा, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

किसी व्यक्ति द्वारा ग्राहकों के साथ करार करने में असफलता के लिए शास्ति।

23ख. यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अधीन अपने ग्राहकों के साथ करार करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करार करने में असफल रहेगा तो वह प्रत्येक ऐसी असफलता के लिए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में असफलता के लिए शास्ति।

23ग. यदि कोई स्टॉक दलाल या उप–दलाल या कोई कंपनी जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लिखित रूप में मांग किए जाने के पश्चात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुबद्ध समय के भीतर ऐसी शिकायतों को दूर करने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारीरहती है एक लाख रुपए की, या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगी।

23घ. यदि कोई व्यक्ति, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 के अधीन स्टॉक दलाल या उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों या धन को पृथक् करने में असफल रहेगा या ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों या धन को स्वयं या किसी अन्य ग्राहक के लिए उपयोग करेगा तो वह एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा। ग्राहक या ग्राहकों की प्रतिभूतियों या धन को पृथक् करने में असफलता के लिए शास्ति।

23ङ यदि कोई कंपनी या सामूहिक विनिधान स्कीम या पारस्परिक निधि का प्रबंध करने वाला कोई व्यक्ति सूचीबद्ध करने की शर्तों या सूची से हटाने की शर्तों या आधारों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उनको भंग करेगा तो कंपनी या वह व्यक्ति, पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा। सूचीबद्ध करने की शर्तों या सूची से हटाने की शर्तों या आधारों का अनुपालन करने से असफलता के लिए शास्ति।

23च. यदि कोई जारीकर्ता कंपनी की जारी प्रतिभूतियों से अधिक प्रतिभूतियों को डिमैटेरियलाइज करेगा या स्टॉक एक्सचेंजों में ऐसी प्रतिभूतियां परिदत्त करेगा, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं या प्रतिभूतियों को वहां परिदत्त करेगा जहां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा व्यवसाय करने की अनुज्ञा नहीं दी गई है तो वह पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा। सूचीबद्ध न की गई प्रतिभूतियों का आधिक्य में डिमैटेरियलाइज करने या परिदान करने के लिए शास्ति।

23छ. यदि कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को कालिक विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या उसकी उपेक्षा करेगा या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा यथानिर्देशित अपने नियम या उपविधियों को बनाने या उसका संशोधन करने में असफल रहेगा या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो ऐसा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसी शास्ति के लिए जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा। कालिक विवरणियां आदि देने में असफलता के लिए शास्ति।

23ज. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नियमों या अनुच्छेदों या उपविधियों या विनियमों या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी ऐसे निदेशों का, जिनके लिए कोई पृथक्, शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा। जहां पृथक् शास्ति उपबंधित नहीं है वहां उल्लंघन के लिए शास्ति।

23झ. (1) धारा 23क, धारा 23ख, धारा 23ग, धारा 23घ, धारा 23ङ, धारा 23च, धारा 23छ और धारा 23ज के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ऐसे अधिकारी को जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रभाग प्रमुख की पंक्ति से नीचे का न हो, विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा। न्यायनिर्णयन की शक्ति।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को जांच करते समय, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, समन करने और साक्ष्य देने के लिए उसको हाजिर कराने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय–वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो सकता है और यदि ऐसी जांच करने पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट धाराओं में से किसी भी धारा के उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है तो वह उन धाराओं में से किसी धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

23ञ. न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 23झ के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, निम्नलिखित बातों का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगा, अर्थात्:— न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार में ली जाने वाली बातें।

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त अननुपातिक लाभ या अनुचित फायदों की मात्रा, जहां कहीं उसकी गणना की जा सकती है;

(ख) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप विनिधानकर्ता या विनिधानकर्ताओं के समूह को कारित हानि की रकम;

(ग) व्यतिक्रम की आवृत्तिमय प्रकृति।

शास्तियों के रूप में वसूल की गई राशियों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

23ट. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील।

23ठ. (1) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश या विनिश्चय या धारा 4ख के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा और इस अधिनियम की धारा 22ख, धारा 22ग, धारा 22घ और धारा 22ङ के उपबंध यथाशक्य ऐसी अपीलों को लागू होंगे।

* * * * *

अध्याय 6
प्रकीर्ण

न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

26. (1) * * * * *

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

* * * * *

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 22) से उद्धरण

* * * * *

कितपय दशाओं में निदेश देने की बोर्ड की शक्ति।

19. इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, यदि कोई जांच या निरीक्षण करने या कराए जाने के पश्चात्, बोर्ड का यह समाधान हो जाता है, कि—

(i) विनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए; या

(ii) किसी निक्षेपागार या सहभागी के ऐसे कार्यकलापों को, जो ऐसी रीति से संचालित किए जाते हैं, जो विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए हानिकर है, रोकने के लिए,

ऐसा करना आवश्यक है तो वह—

(क) प्रतिभूति बाजार के साथ सहयुक्त किसी निक्षेपागार या सहभागी या किसी व्यक्ति को; या

(ख) किसी निर्गमकर्ता को,

ऐसे निदेश दे सकेगा, जो विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हित में समुचित हों।

जानकारी, विवरणी आदि देने में असफलता के लिए शास्ति।

19क. कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या उपविधियों के अधीन,—

(क) कोई जानकारी, दस्तावेज, बहियां, विवरणियां या रिपोर्ट बोर्ड को देने की अपेक्षा की जाती है, उनके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर उन्हें देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा;

(ख) कोई विवरणी या कोई जानकारी, बहियां या अन्य दस्तावेज, विनियमों या उपविधियों में उनके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर फाइल करना या देना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल

करने या उन्हें देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा;

(ग) लेखाबहियां या अभिलेख रखना अपेक्षित है, उन्हें रखने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

कोई करार करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

19ख. यदि किसी निक्षेपागार या निक्षेपागार में भागीदार या किसी निर्गमनकर्ता या उसके अभिकर्ता या ऐसे किसी व्यक्ति से, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंधों के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन कोई करार करना अपेक्षित है, और वह ऐसा करार करने में असफल रहेगा तो ऐसा निक्षेपागार या भागीदार या निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या मध्यवर्ती ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा। 1992 का 15

विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

19ग. यदि कोई निक्षेपागार या निक्षेपागार में भागीदार या कोई निर्गमकर्ता या उसका अभिकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय प्रतिभूति या विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंधों के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, बोर्ड द्वारा विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने की लिखित रूप में मांग किए जाने के पश्चात्, ऐसी शिकायतों को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने में असफल रहेगा तो ऐसा निक्षेपागार या भागीदार या निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या मध्यवर्ती, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा। 1992 का 15

डिमैटेरियलाइज करने या प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के लिए शास्ति।

19घ. यदि कोई निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या कोई व्यक्ति, जो भारतीय प्रतिभूति या विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंधों के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, विनिधानकर्ताओं द्वारा निक्षेपागार का विकल्प दिए जाने पर प्रतिभूतियों को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या उपविधियों के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर डिमैटेरियलाइजेशन करने या उनका प्रमाणपत्र जारी करने में असफल रहेगा या प्रतिभूतियों के निक्षेपागार का विकल्प किए जाने पर प्रतिभूतियों को डिमैटेरियलाइज करने या उसका प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में विलंब करने को दुष्प्रेरित करेगा तो ऐसा निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या मध्यवर्ती ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा। 1992 का 15

अभिलेखों का मिलान करने में असफलता के लिए शास्ति।

19ङ यदि कोई निक्षेपागार या निक्षेपागार का भागीदार या कोई निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या कोई व्यक्ति, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के उपबंधों के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रकृत है, विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट निर्गमनकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों के साथ मैटेरिलाइज की गई प्रतिभूतियों के अभिलेखों का मिलान करने में असफल रहेगा तो ऐसा निक्षेपागार या भागीदार या निर्गमनकर्ता या उसका अभिकर्ता या मध्यवर्ती ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा। 1992 का 15

अधिनियम की धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

19च. यदि कोई व्यक्ति, धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति, जहां किसी पृथक् शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है।

19छ. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या उपविधियों या बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेशों का पालन करने में असफल रहेगा जिसके लिए अलग से शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी।

* * * * *

अध्याय 6
प्रकीर्ण

न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

22. (1) * * * * *

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

* * * * *

प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील।

23क. (1) * * * * *

(2) बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश के विरुद्ध पक्षकारों की सहमति से प्रतिभूति अपील अधिकरण को कोई अपील नहीं की जाएगी।

* * * * *

GMGIPMRND—1923LS—01-08-2014.